संस्था का नाम :– बी. आर. खोखर मेमोरियल शिक्षण संस्थान, कुचामन सिटी

क्रमांक :– 145/नागौर/2000–2001

दिनांक : 28.07.2000

तुलनात्मक स्टेटमेंट

आम सभा (SGM) की बैठक दिनांक 18.07.2024 में पारित संशोधन

क्र. स.	विधान की धारा	पंजीकृत विधान का नियम	विधान में संशोधन किया गया नियम (नया नियम)
1	संस्था का नाम	इस संस्था का नाम **बी. आर. खोखर मेमोरियल शिक्षण संस्थान, कुचामन सिटी** हैं व रहेगा।	यथावत
2	पंजीकृत कार्यालय तथा कार्यक्षेत्र	इस संस्था का पंजीकृत कार्यालय **वार्ड नं. 19, कुचामन सिटी, जिला नागौर (राज.)** तथा इसका कार्यक्षेत्र सम्पूर्ण राजस्थान तक सीमित होगा।	इस संस्था का पंजीकृत कार्यालय **वार्ड नं. 19, कुचामन सिटी, जिला डीडवाना – कुचामन (राज.)** तथा इसका कार्यक्षेत्र सम्पूर्ण राजस्थान तक सीमित होगा।
3	संस्था के उद्देश्य	1. बालकों का शारीरिक, मानसिक, बौद्विक व नैतिक विकास करना है।	यथावत
		2. बालकों को कुरीतियों एवं रूढ़िवादिता का परित्याग करवाना।	यथावत
		3. फिजुल खर्चों की रोकथाम एवं बचत प्रवृतियों को प्रोत्साहन देना।	यथावत
		4. बालकों में सामाजिक उत्थान तथा विकास प्रवृतियों को प्रोत्साहन देना।	यथावत
		5. बालकों को शारीरिक शिक्षा व सफाई के महत्व को समझाना।	यथावत
		6. राष्ट्रीय कार्यक्रमों के महत्व को समझाना एवं उनकी क्रियान्विति में सहयोग प्रदान करना।	यथावत
		7. बालकों में राष्ट्रीयता की भावना का विकास करना।	यथावत
		8. उच्च शिक्षा तथा तकनीकी शिक्षा का विकास करना।	यथावत
		9. संस्थान अथवा संस्थान द्वारा संचालित विभिन्न शैक्षणिक व अन्य इकाईयों परियोजनाओं द्वारा अर्जित या क्रय की गई चल व अचल सम्पतियों से निहित वास्तविक एवं व्यक्तिक स्व अधिकारों, प्रतिभूतियों व जमा राशियों में निहित हितों को जो, कि संस्थान से सारोकार रखते है, को संस्थान के उद्देष्यों की पूर्ति के लिए भी केन्द्र सरकार व राज्य सरकार के विभाग, राष्ट्रीय व राज्य वित्तिय संस्थान, हुडको, रीको, राष्ट्रीयकृत बैंकों अथवा निजी क्षेत्र के नियमित संस्थाओं से ऋण व आर्थिक सहायता प्राप्त करने में सहयोग प्रदान करना।	यथावत
		10. सुसंस्कृतिक सामाजिक मनोवैज्ञानिक एवं वैज्ञानिक रूप से शिक्षा की सुव्यवस्था कर बच्चों में राष्ट्रीयता की भावना विकसित करने में सहयोग प्रदान करना।	यथावत
		नवीन	11. स्वास्थ्य शिक्षा , शिशुबाल स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य, जागरूकता, व्यवसायिक एवं

अध्यक्ष
बी.आर.खोखर मेमो. शिक्षण संस्थान
कुचामन सिटी (नागौर)

सचिव
बी.आर.खोखर मेमो. शिक्षण संस्थान
कुचामन सिटी (नागौर)

कोषाध्यक्ष
बी.आर.खोखर मेमोरियल शिक्षण संस्थान
कुचामन सिटी (नागौर)

Signature valid

Digitally signed by Ganga Ram Godara
Designation : REGISTRAR
Date: 2024.07.30 11:31:27 IST
Reason: Approved
Location: -

			पर्यावरण शिक्षा, समुदाय स्वास्थ्य विकलांग आदि क्षेत्रों में कार्य करना
		नवीन	12. उच्च शिक्षा के साथ मेडिकल शिक्षा के विभिन्न पाठ्यकम फार्मेसी, नर्सिंग, पैरामेडिकल एवं स्वास्थ्य सेवाओं के प्रशिक्षण संस्थान संचालित करना
		नवीन	13. पशुपालन संवर्धन हेतु पशु चिकित्सा प्रशिक्षण संस्थान, पशुधन सहायक डिप्लोमा कोर्स, एनिमल हसबेंड्री व पशु चिकित्सा के अन्य कोर्स संचालित करना।
		नवीन	14. उच्च शिक्षा में शिक्षक प्रशिक्षण, शारीरिक प्रशिक्षण एवं विशेष शिक्षा के पाठ्यकमों का महाविद्यालय खोलना।
		नवीन	15. भारत सरकार की कौशल योजना में सहयोग करना तथा कौशल योजना के तहत आम छात्रों के लिए कार्य करना।
		नवीन	16.सरकार की नई शिक्षा नीति के पाठ्यकमों को संचालित करना। दुरस्थ शिक्षा जागरूकता हेतु दुरस्थ शिक्षा के पाठ्यकमों की मान्यता लेकर कार्य करना। तकनीकि शिक्षा के विकास के लिए तकनीकी संस्थानों की स्थापना करना।
		नवीन	17.गरीब, अनाथ, विकलांग, मंदबुद्धि, मुक बधिर, वृद्धा– विधवा महिला आश्रम, अनुसूचित जाति/जनजाति एवं विशेष पिछड़े वर्गो के रोजगारोन्मुखी प्रशिक्षण कार्यकम, संस्थान और छात्रावासों का संचालन करना और सरकार की विभिन्न योजनाओं के छात्रावासों का संचालन कर सरकार एवं जनहित के उद्वेश्य को पूरा करना

(उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ति में कोई भी लाभ निहित नहीं है।)

Signature valid
Digitally signed by Ganga Ram Godara
Designation : REGISTRAR
Date: 2024.07.30 11:01:27 IST
Reason: Approved
Location: -

अध्यक्ष
बी.आर.खोखर मेमो.शिक्षण संस्थान
कुचामन सिटी (नागौर)

सचिव
बी.आर.खोखर मेमो.शिक्षण संस्थान
कुचामन सिटी (नागौर)

कोषाध्यक्ष
बी.आर.खोखर मेमोरियल शिक्षण संस्थान
कुचामन सिटी (नागौर)

संस्था का नाम :– बी. आर. खोखर मेमोरियल शिक्षण संस्थान, कुचामन सिटी

क्रमांक :– 145 / नागौर / 2000–2001

दिनांक : 28.07.2000

संघ विधान पत्र

क्र. स.	विधान की धारा संख्या	पंजीकृत विधान का नियम	विधान के संशोधन किया गया नियम नया नियम
4.		संस्था का कार्यभार संख्या के नियमानुसार एक कार्यकारिणी समिति को सौंपा गया है, जिसके प्रथम वर्तमान पदाधिकारी निम्नलिखित है।	

क्र.स.	नाम व पिता का नाम	व्यवसाय	पूर्ण पता	पद
1.	श्री गोविन्दा राम शेषमा पुत्र श्री बेगाराम शेषमा	कृषि व व्यापार	63-A, आनन्द नगर, सिरसी रोड़, जयपुर	अध्यक्ष
2.	श्रीमती सन्तोष देवी खोखर पत्नी श्री जगदीश प्रसाद खोखर	अध्यापन	मोरडूंगा, त. धोद, सीकर	उपाध्यक्ष
3.	श्री जगदीश प्रसाद खोखर पुत्र श्री नन्द लाल खोखर	कृषि व व्यापार	मोरडूंगा, त. धोद, सीकर	सचिव
4.	श्री रणजीत कुमार पुत्र श्री गोविन्दा राम शेषमा	अध्यापन	63-A, आनन्द नगर, सिरसी रोड़, जयपुर	कोषाध्यक्ष
5.	श्री गोपाल सिंह पुत्र श्री बेगा राम	कृषि	222 ढाणी सेसमां राजपुरा त. दांतारामगढ़ सीकर	सदस्य
6.	श्रीमती सुशीला राठी शेषमा पत्नी श्री महावीर प्रसाद शेषमा	व्यापार	63-A, आनन्द नगर, सिरसी रोड़, जयपुर	सदस्य
7.	श्रीमती संतोष देवी पत्नी श्री झाबर मल	गृहणी	15, बालाजी नगर, पाल रोड़, जोधपुर	सदस्य
8.	श्रीमती प्रियंका चौधरी पत्नी श्री रणजीत कुमार	अध्यापन	63-A, आनन्द नगर, सिरसी रोड़, जयपुर	सदस्य
9.	श्रीमती मनोज कुमारी मील पत्नी श्री रूपाराम शेषमा	अध्यापन	222 ढाणी सेसमां राजपुरा त. दांतारामगढ़ सीकर	सदस्य
10.	श्री झाबर मल जाट पुत्र श्री बेगा राम	कृषि व व्यापार	15, बालाजी नगर, पाल रोड़, जोधपुर	सदस्य
11.	श्री अशोक खोखर पुत्र श्री जगदीश प्रसाद खोखर	अध्यापन	मु पो पुर्णपुरा, सिंगरावट, सीकर	सदस्य
12.	श्रीमती सुमन चौधरी पत्नी श्री अशोक खोखर	अध्यापन	मु पो पुर्णपुरा, सिंगरावट, सीकर	सदस्य
13.	श्री महावीर प्रसाद शेषमा पुत्र श्री गोविन्दा राम शेषमा	व्यापार	63-A, आनन्द नगर, सिरसी रोड़, जयपुर	सदस्य
14.	श्री सुभाष चौधरी पुत्र श्री गोपाल सिंह सेसमां	अध्यापन	222 ढाणी सेसमां राजपुरा त. दांतारामगढ़ सीकर	सदस्य
15.	श्री महेन्द्र खोखर पुत्र श्री लिछमण राम	व्यापार	मु पो पुर्णपुरा, सिंगरावट, सीकर	सदस्य
16.	श्री रूपाराम शेषमा पुत्र श्री बेगाराम शेषमा	सरकारी कर्मचारी	222 ढाणी सेसमां राजपुरा त. दांतारामगढ़ सीकर	सदस्य
17.	श्रीमती सीमा खोखर	गृहणी	मोरडूंगा, त. धोद, सीकर	सदस्य
18.	श्रीमती अनिता पत्नी श्री नेमीचन्द खोखर	व्यापार	मु पो पुर्णपुरा, सिंगरावट, सीकर	सदस्य
19.	श्रीमती सुमिता सेवदा पत्नी श्री महेन्द्र खोखर	गृहणी	मु पो पुर्णपुरा, सिंगरावट, सीकर	सदस्य
20.	सुश्री खुशी खोखर	अध्यापन	मु पो पुर्णपुरा, सिंगरावट, सीकर	सदस्य
21.	श्रीमती सुनीता चौधरी पत्नी श्री महेश कुमार शेषमा	अध्यापन	63-A, आनन्द नगर, सिरसी रोड़, जयपुर	सदस्य

अध्यक्ष
बी.आर.खोखर मेमो.शिक्षण संस्थान
कुचामन सिटी (नागौर)

सचिव
बी.आर.खोखर मेमो.शिक्षण संस्थान
कुचामन सिटी (नागौर)

कोषाध्यक्ष
बी.आर.खोखर मेमोरियल शिक्षण संस्थान
कुचामन सिटी (नागौर)

Signature valid
Digitally signed by Ganga Ram Godara
Designation : REGISTRAR
Date: 2024.07.30 11:01:27 IST
Reason: Approved
Location: -

संस्था का नाम :– बी. आर. खोखर मेमोरियल शिक्षण संस्थान, कुचामन सिटी

क्रमांक :– 145 / नागौर / 2000–2001

दिनांक : 28.07.2000

संघ विधान पत्र

क्र. स.	विधान की धारा संख्या	पंजीकृत विधान का नियम	विधान के संशोधन किया गया नियम नया नियम
5.		हम निम्न हस्ताक्षर कर्त्ता, जिनके नाम, व्यवसाय व पूर्ण पतें निम्न प्रकार है, इस संघ विधान पत्र के अन्तर्गत इस संस्था के संशोधित विधान को रजिस्ट्रीकृत करवाने के इच्छुक है।	

क्र. स.	नाम व पिता का नाम	व्यवसाय	पूर्ण पता	हस्ताक्षर
1.	श्री गोविन्दा राम शेषमा पुत्र श्री बेगाराम शेषमा	कृषि व व्यापार	63-A, आनन्द नगर, सिरसी रोड़, जयपुर	
2.	श्रीमती सन्तोष देवी खोखर पत्नी श्री जगदीश प्रसाद खोखर	अध्यापन	मोरड़ूंगा, त. धोद, सीकर	
3.	श्री जगदीश प्रसाद खोखर पुत्र श्री नन्द लाल खोखर	कृषि व व्यापार	मोरड़ूंगा, त. धोद, सीकर	
4.	श्री रणजीत कुमार पुत्र श्री गोविन्दा राम शेषमा	अध्यापन	63-A, आनन्द नगर, सिरसी रोड़, जयपुर	
5.	श्री गोपाल सिंह पुत्र श्री बेगा राम	कृषि	222 ढ़ाणी सेसमां राजपुरा त. दांतारामगढ सीकर	
6.	श्रीमती सुशीला राठी शेषमा पत्नी श्री महावीर प्रसाद शेषमा	व्यापार	63-A, आनन्द नगर, सिरसी रोड़, जयपुर	
7.	श्रीमती संतोष देवी पत्नी श्री झाबर मल	गृहणी	15, बालाजी नगर, पाल रोड़, जोधपुर	
8.	श्रीमती प्रियंका चौधरी पत्नी श्री रणजीत कुमार	अध्यापन	63-A, आनन्द नगर, सिरसी रोड़, जयपुर	
9.	श्रीमती मनोज कुमारी मील पत्नी श्री रूपाराम शेषमा	अध्यापन	222 ढ़ाणी सेसमां राजपुरा त. दांतारामगढ सीकर	
10.	श्री झाबर मल जाट पुत्र श्री बेगा राम	कृषि व व्यापार	15, बालाजी नगर, पाल रोड़, जोधपुर	
11.	श्री अशोक खोखर पुत्र श्री जगदीश प्रसाद खोखर	अध्यापन	मु पो पुर्णपुरा, सिंगरावट, सीकर	
12.	श्रीमती सुमन चौधरी पत्नी श्री अशोक खोखर	अध्यापन	मु पो पुर्णपुरा, सिंगरावट, सीकर	
13.	श्री महावीर प्रसाद शेषमा पुत्र श्री गोविन्दा राम शेषमा	व्यापार	63-A, आनन्द नगर, सिरसी रोड़, जयपुर	

अध्यक्ष
बी.आर. खोखर मेमो. शिक्षण संस्थान
कुचामन सिटी (नागौर)

सचिव
बी.आर. खोखर मेमो. शिक्षण संस्थान
कुचामन सिटी (नागौर)

कोषाध्यक्ष
बी.आर. खोखर मेमोरियल शिक्षण संस्थान
कुचामन सिटी (नागौर)

Signature valid
Digitally signed by Ganga Ram Godara
Designation : REGISTRAR
Date: 2024.07.30 11:01:27 IST
Reason: Approved
Location: -

संस्था का नाम :– बी. आर. खोखर मेमोरियल शिक्षण संस्थान, कुचामन सिटी

क्रमांक :– 145 / नागौर / 2000–2001

दिनांक : 28.07.2000

संघ विधान पत्र

क्र. स.	विधान की धारा संख्या	पंजीकृत विधान का नियम	विधान के संशोधन किया गया नियम नया नियम
5.		हम निम्न हस्ताक्षर कर्त्ता, जिनके नाम, व्यवसाय व पूर्ण पते निम्न प्रकार है, इस संघ विधान पत्र के अन्तर्गत इस संस्था के संशोधित विधान को रजिस्ट्रीकृत करवाने के इच्छुक है।	

क्र. स.	नाम व पिता का नाम	व्यवसाय	पूर्ण पता	हस्ताक्षर
14.	श्री सुभाष चौधरी पुत्र श्री गोपाल सिंह सेसमां	अध्यापन	222 ढ़ाणी सेसमां राजपुरा त. दांतारामगढ़ सीकर	Subhash
15.	श्री महेन्द्र खोखर पुत्र श्री लिछमण राम	व्यापार	मु पो पुर्णपुरा, सिंगरावट, सीकर	Mahendra
16.	श्री रूपाराम शेषमा पुत्र श्री बेगाराम शेषमा	सरकारी कर्मचारी	222 ढ़ाणी सेसमां राजपुरा त. दांतारामगढ़ सीकर	[illegible]
17.	श्रीमती सीमा खोखर	गृहणी	मोरड़ूंगा, त. धोद, सीकर	Seema
18.	श्रीमती अनिता पत्नी श्री नेमीचन्द खोखर	व्यापार	मु पो पुर्णपुरा, सिंगरावट, सीकर	अनिता
19.	श्रीमती सुमिता सेवदा पत्नी श्री महेन्द्र खोखर	गृहणी	मु पो पुर्णपुरा, सिंगरावट, सीकर	Sumita
20.	सुश्री खुशी खोखर	अध्यापन	मु पो पुर्णपुरा, सिंगरावट, सीकर	खुशी
21.	श्रीमती सुनीता चौधरी पत्नी श्री महेश कुमार शेषमा	अध्यापन	63-A, आनन्द नगर, सिरसी रोड़, जयपुर	सुनीता चौधरी

हम निम्न हस्ताक्षरकर्ता प्रमाणित करते है कि उपरोक्त हस्ताक्षरकर्ताओं को हम जानते है व इन्होंने हमारे समक्ष अपने हस्ताक्षर किये है।

1. हस्ताक्षर
नाम व पिता का नाम, व्यवसाय
अर्जुनराम / धारा राम
अध्यापक

2. हस्ताक्षर
नाम व पिता का नाम, व्यवसाय
अहमद अली / मो० अली
अध्यापक

अध्यक्ष
बी.आर. खोखर मेमो. शिक्षण संस्थान
कुचामन सिटी (नागौर)

सचिव
बी.आर. खोखर मेमो. शिक्षण संस्थान
कुचामन सिटी (नागौर)

Rafeet Kumar
कोषाध्यक्ष
बी.आर. खोखर मेमोरियल शिक्षण संस्थान
कुचामन सिटी (नागौर)

Signature valid
Digitally signed by Ganga Ram Godara
Designation : REGISTRAR
Date: 2024.07.30 11:01:27 IST
Reason: Approved
Location: -

संस्था का नाम :– बी. आर. खोखर मेमोरियल शिक्षण संस्थान, कुचामन सिटी

क्रमांक :– 145 / नागौर / 2000–2001 दिनांक : 28.07.2000

संघ विधान नियमावली

आम सभा (SGM) की बैठक दिनांक 18.07.2024 में पारित संशोधन

क्र. स.	विधान की धारा	पंजीकृत विधान का नियम	विधान में संशोधन किया गया नियम (नया नियम)
1	संस्था का नाम	इस संस्था का नाम **बी. आर. खोखर मेमोरियल शिक्षण संस्थान, कुचामन सिटी** हैं व रहेगा।	यथावत
2	पंजीकृत कार्यालय तथा कार्यक्षेत्र	इस संस्था का पंजीकृत कार्यालय **वार्ड नं. 19, कुचामन सिटी, जिला नागौर (राज.)** तथा इसका कार्यक्षेत्र सम्पूर्ण राजस्थान तक सीमित होगा।	इस संस्था का पंजीकृत कार्यालय **वार्ड नं. 19, कुचामन सिटी, जिला डीडवाना – कुचामन (राज.)** तथा इसका कार्यक्षेत्र सम्पूर्ण राजस्थान तक सीमित होगा।
3	संस्था के उद्देश्य	1. बालकों का शारीरिक, मानसिक, बौद्विक व नैतिक विकास करना है।	यथावत
		2. बालकों को कुरीतियों एवं रूढ़िवादिता का परित्याग करवाना।	यथावत
		3. फिजुल खर्चों की रोकथाम एवं बचत प्रवृतियों को प्रोत्साहन देना।	यथावत
		4. बालकों में सामाजिक उत्थान तथा विकास प्रवृतियों को प्रोत्साहन देना।	यथावत
		5. बालकों को शारीरिक शिक्षा व सफाई के महत्व को समझाना।	यथावत
		6. राष्ट्रीय कार्यक्रमों के महत्व को समझाना एवं उनकी क्रियान्विति में सहयोग प्रदान करना।	यथावत
		7. बालकों में राष्ट्रीयता की भावना का विकास करना।	यथावत
		8. उच्च शिक्षा तथा तकनीकी शिक्षा का विकास करना।	यथावत
		9. संस्थान अथवा संस्थान द्वारा संचालित विभिन्न शैक्षणिक व अन्य इकाईयों परियोजनाओं द्वारा अर्जित या क्रय की गई चल व अचल सम्पतियों से निहित वास्तविक एवं व्यक्तिक स्व अधिकारों, प्रतिभूतियों व जमा राशियों में निहित हितों को जो, कि संस्थान से सारोकार रखते है, को संस्थान के उद्देष्यों की पूर्ति के लिए भी केन्द्र सरकार व राज्य सरकार के विभाग, राष्ट्रीय व राज्य वित्तिय संस्थान, हुडको, रीको, राष्ट्रीयकृत बैंकों अथवा निजी क्षेत्र के नियमित संस्थाओं से ऋण व आर्थिक सहायता प्राप्त करने में सहयोग प्रदान करना।	यथावत
		10. सुसंस्कृतिक सामाजिक मनोवैज्ञानिक एवं वैज्ञानिक रूप से शिक्षा की सुव्यवस्था कर बच्चों में राष्ट्रीयता की भावना विकसित करने में सहयोग प्रदान करना।	यथावत
		नवीन	11. स्वास्थ्य शिक्षा , शिशुबाल स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य, जागरूकता, व्यवसायिक एवं

अध्यक्ष
बी.आर.खोखर मेमो.शिक्षण संस्थान
कुचामन सिटी (नागौर)

सचिव
बी.आर.खोखर मेमो.शिक्षण संस्थान
कुचामन सिटी (नागौर)

कोषाध्यक्ष
बी.आर.खोखर मेमोरियल शिक्षण संस्थान
कुचामन सिटी (नागौर)

Signature valid

Digitally signed by Ganga Ram Godara
Designation : REGISTRAR
Date: 2024.07.30 11:31:27 IST
Reason: Approved
Location: -

			पर्यावरण शिक्षा, समुदाय स्वास्थ्य विकलांग आदि क्षेत्रों में कार्य करना
		नवीन	12. उच्च शिक्षा के साथ मेडिकल शिक्षा के विभिन्न पाठ्यक्रम फार्मेसी, नर्सिग, पैरामेडिकल एवं स्वास्थ्य सेवाओं के प्रशिक्षण संस्थान संचालित करना
		नवीन	13. पशुपालन संवर्धन हेतु पशु चिकित्सा प्रशिक्षण संस्थान, पशुधन सहायक डिप्लोमा कोर्स, एनिमल हसबेंड्री व पशु चिकित्सा के अन्य कोर्स संचालित करना।
		नवीन	14. उच्च शिक्षा में शिक्षक प्रशिक्षण, शारीरिक प्रशिक्षण एवं विशेष शिक्षा के पाठ्यक्रमों का महाविद्यालय खोलना।
		नवीन	15. भारत सरकार की कौशल योजना में सहयोग करना तथा कौशल योजना के तहत आम छात्रों के लिए कार्य करना।
		नवीन	16.सरकार की नई शिक्षा नीति के पाठ्यक्रमों को संचालित करना। दुरस्थ शिक्षा जागरूकता हेतु दुरस्थ शिक्षा के पाठ्यक्रमों की मान्यता लेकर कार्य करना। तकनीकि शिक्षा के विकास के लिए तकनीकी संस्थानों की स्थापना करना।
		नवीन	17.गरीब, अनाथ, विकलांग, मंदबुद्धि, मुक बधिर, वृद्धा– विधवा महिला आश्रम, अनुसूचित जाति/जनजाति एवं विशेष पिछड़े वर्गो के रोजगारोन्मुखी प्रशिक्षण कार्यक्रम, संस्थान और छात्रावासों का संचालन करना और सरकार की विभिन्न योजनाओं के छात्रावासों का संचालन कर सरकार एवं जनहित के उद्देश्य को पूरा करना

(उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ति में कोई भी लाभ निहित नहीं है।)

अध्यक्ष
बी.आर. खोखर मेमो. शिक्षण संस्थान
कुचामन सिटी (नागौर)

सचिव
बी.आर. खोखर मेमो. शिक्षण संस्थान
कुचामन सिटी (नागौर)

Kumar
कोषाध्यक्ष
बी.आर. खोखर मेमोरियल शिक्षण संस्थान
कुचामन सिटी (नागौर)

Signature valid

Digitally signed by Ganga Ram Godara
Designation : REGISTRAR
Date: 2024.07.30 11:51:27 IST
Reason: Approved
Location: -

क्र. सं.	विधान की धारा	पंजीकृत विधान	विधान में संशोधन किया गया नियम (नया नियम)
4.	सदस्यता	निम्न योग्यता रखने वाले व्यक्ति संस्था के सदस्य बन सकेंगे :– 1. संस्था के कार्य क्षेत्र में निवास करते हों। 2. बालिग हों। 3. पागल, दीवालिये न हों। 4. संस्था के उद्देश्यों में रूचि व आस्था रखते हों। 5. संस्था के हित को सर्वोपरि समझते हों।	यथावत
5.	सदस्यों का वर्गीकरण	संस्था के सदस्य निम्न प्रकार वर्गीकृत होंगे :– 1. संरक्षक 2. विशिष्ठ 3. सम्माननीय 4. साधारण	यथावत
6.	सदस्यों द्वारा प्रदत शुल्क व चन्दा	उपनियम संख्या 4 में अंकित सदस्यों द्वारा निम्न प्रकार शुल्क व चन्दा देय होगा:– 1. संरक्षक.......................वार्षिक 2. विशिष्ठ.......................वार्षिक 3. सम्माननीय ....वार्षिक 4. साधारण राशि 250 वार्षिक उक्त राशि एक मुश्त रू की मासिक की दर से जमा कराई जा सकेगी।	यथावत
7.	सदस्यता से निष्कासन	संस्था के सदस्यों का निष्कासन निम्न प्रकार किया जा सकेगा :– 1. मृत्यु होने पर 2. त्याग–पत्र देने पर 3. संस्था के उद्देश्यों के विपरीत कार्य करने पर 4. प्रबंधकारिणी द्वारा दोषी पाये जाने पर। उक्त प्रकार के निष्कासन की अपील 15 दिन के अन्दर–अन्दर लिखित में आवेदन करने पर साधारण सभा के निर्णय हेतु वैध समझी जावेगी तथा साधारण सभा के बहुमत का निर्णय अंतिम होगा।	यथावत
8.	साधारण सभा	संस्था के उपनियम संख्या 5 में वर्णित समस्त प्रकार के सदस्य मिलकर साधारण सभा का निर्माण करेंगे।	यथावत
9.	साधारण सभा के अधिकार और कर्तव्य	साधारण सभा के निम्न अधिकार और कर्तव्य होंगे :– 1. प्रबंधकारिणी का चुनाव करना। 2. वार्षिक बजट पारित करना। 3. प्रबंधकारिणी द्वारा किये गये कार्यों की समीक्षा करना व पुष्टि करना। 4. संस्था के कुल सदस्याओं के 2/3 बहुमत से विधान में संशोधन, परिवर्तन अथवा परिवर्धन करना। (जो रजिस्ट्रार के कार्यालय में फाइल कराया जाकर प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त करने पर लागू होगा।)	यथावत
10.	साधारण सभा की बैठकें	1. साधारण सभा की वर्ष में एक बैठक अनिवार्य होगी लेकिन आवश्यकता पडने पर विशेष सभा अध्यक्ष/मंत्री द्वारा कभी भी बुलाई जा सकेगी। 2. साधारण सभा की बैठक का कोरम कुल सदस्यों का 1/3 होगा। 3. बैठक की सूचना 7 दिन पूर्व व अत्यावश्यक बैठक की सूचना 3 दिन पूर्व दी जायेगी। 4. कोरम के अभाव में बैठक स्थगित की जा सकेगी जो पुनः 7 दिन पश्चात् निर्धारित स्थान व समय पर आहूत की जा सकेगी। ऐसी स्थगित बैठक में कोरम की कोई आवश्यकता नहीं होगी लेकिन विचारणीय विषय वही होंगे जो पूर्व एजेन्डा में थे। 5. संस्था के 1/3 अथवा 15 सदस्य इनमें से जो भी कम हों, के लिखित आवेदन करने पर मंत्री/अध्यक्ष द्वारा 1 माह के अंदर–अंदर बैठक आहूत करना अनिवार्य होगा। निर्धारित अवधि में अध्यक्ष/मंत्री द्वारा बैठक न बुलाये जाने पर उक्त 15 सदस्यों में से कोई भी 3 सदस्य नोटिस जारी	यथावत

Signature valid
Digitally signed by Ganga Ram Godara
Designation : REGISTRAR
Date: 2024.07.30 11:01:27 IST
Reason: Approved
Location: -

सचिव
बी.आर. खोखर मेमो. शिक्षण संस्थान
कुचामन सिटी (नागौर)

अध्यक्ष
बी.आर. खोखर मेमो. शिक्षण संस्थान
कुचामन सिटी (नागौर)

कोषाध्यक्ष
बी.आर. खोखर मेमोरियल शिक्षण संस्थान
कुचामन सिटी (नागौर)

		कर सकेगे तथा इस प्रकार की बैठक में होने वाले समस्त निर्णय वैधानिक व सर्वमान्य होंगे।	
11.	कार्यकारिणी का गठन	संस्था के कार्य को सुचारू रूप से चलाने के लिए एक प्रबंधकारिणी का गठन किया जायेगा, जिसके पदाधिकारी व सदस्य निम्न प्रकार होंगे :- 1. अध्यक्ष– एक 2. उपाध्यक्ष – एक 3. सचिव/मंत्री – एक 4. कोषाध्यक्ष – एक 5. सदस्य – तीन (उक्त पदों के अतिरिक्त अन्य पद या पदनाम परिवर्तन किये जावें, तो यहां अंकित करे। कम रखना चाहें तो कम रख लें।) इस प्रकार प्रबंधकारिणी में 4 पदाधिकारी व 3 सदस्य कुल 7 सदस्य होगें।	संस्था के कार्य को सुचारू रूप से चलाने के लिए एक प्रबंधकारिणी का गठन किया जायेगा, जिसके पदाधिकारी व सदस्य निम्न प्रकार होंगे :- 2. अध्यक्ष– एक 2. उपाध्यक्ष – एक 3. सचिव/मंत्री – एक 4. कोषाध्यक्ष – एक 5. सदस्य – 17 (उक्त पदों के अतिरिक्त अन्य पद या पदनाम परिवर्तन किये जावें, तो यहां अंकित करे। कम रखना चाहें तो कम रख लें।) इस प्रकार प्रबंधकारिणी में 4 पदाधिकारी व 17सदस्य कुल 21 सदस्य होगें।
12.	कार्यकारिणी का निर्वाचन	1.संस्था की प्रबंधकारिणी का चुनाव 2 वर्ष की अवधि के लिए साधारण सभा द्वारा किया जावेगा। 2.चुनाव प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष प्रणाली द्वारा किया जावेगा। 3.चुनाव अधिकारी की नियुक्ति प्रबंधकारिणी द्वारा की जावेगी।	यथावत
13.	कार्यकारिणी के अधिकार व कर्तव्य	संस्था की कार्यकारिणी के निम्नलिखित अधिकार व कर्तव्य होंगे :- 1.सदस्य बनाना/निष्कासिकत करना। 2.वार्षिक बजट तैयार करना। 3.संस्था की सम्पति की सुरक्षा करना। 4.वैतनिक कर्मचारियों की नियुक्ति करना तथा उनके वेतन भतों का निर्धारण करना व सेवा मुक्त करना। 5.साधारण सभा द्वारा पारित निर्णयों को क्रियान्वित करना। 6.कार्य व्यवस्था हेतु उप समितियां बनाना। 7.अन्य कार्य जो संस्था के हितार्थ हों, करना।	यथावत
14.	कार्यकारिणी की बैठके	1.कार्यकारिणी की वर्ष में कम से कम पाँच बैठकें अनिवार्य होंगी लेकिन आवश्यकता होने पर बैठके अध्यक्ष/मंत्री द्वारा कभी भी बुलाई जा सकेगी। 2.बैठक का कोरम प्रबंधकारिणी की कुल संख्या के आधे से अधिक होगा। 3.बैठक की सूचना प्रायः 7 दिन पूर्व दी जावेगी तथा अत्यावश्यक बैठक की सूचना परिचालन से कम समय में भी दी जा सकती हैं। 4.कोरम के अभाव में बैठक स्थगित की जा सकेगी जो पुनः दूसरे दिन निर्धारित स्थान व समय पर होगी। ऐसी स्थगित बैठक में कोरम की	यथावत

सचिव
बी.आर.खोखर मेमोरियल
शिक्षण सस्थान, कुचामन सिटी

कोषाध्यक्ष
बी.आर. खोखर मेमो. शिक्षण संस्थान
कुचामन सिटी (नागौर)

अध्यक्ष
बी.आर.खोखर मेमोरियल
शिक्षण संस्थान, कुचामन सिटी

Signature valid
Digitally signed by Ganga Ram Godara
Designation : REGISTRAR
Date: 2024.07.30 11:31:27 IST
Reason: Approved
Location: -

		आवश्यकता नहीं होगी। लेकिन विचारणीय विषय वही होंगे, जो पूर्व एजेण्डा में थे। ऐसी स्थगित बैठक की उपस्थिति अनिवार्य होगी। इस सभा की कार्यवाही की पुष्टि आगामी आम सभा में कराना आवश्यक होगा।	
15.	प्रबंधकारिणी के पदाधिकारियों के अधिकार व कर्तव्य	संस्था की प्रबंधकारिणी के अधिकार व कर्तव्य निम्न प्रकार होंगे :– **1. अध्यक्ष :** 1.बैठकों की अध्यक्षता करना। 2.मत बराबर आने पर निर्णायक मत देना। 3.बैठकें आहूत करना। 4.संस्था का प्रतिनिधित्व करना। 5.संविदा तथा अन्य दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करना। **2. उपाध्यक्ष :** 1.अध्यक्ष की अनुपस्थिति में अध्यक्ष के समस्त अधिकारों का प्रयोग करना। 2.प्रबंधकारिणी द्वारा प्रदत अन्य अधिकारों का उपयोग करना। **3. सचिव :** 1.बैठकें आहूत करना एवं बुलाना। 2.आय–व्यय पर नियंत्रण करना। 3.कार्यवाही लिखना तथा रिकार्ड रखना। 4.वैतनिक कर्मचारियों पर नियंत्रण करना तथा उनके वेतन व यात्रा बिल आदि पास करना। 5.संस्था प्रतिनिधित्व करना व कानूनी दस्तावेजों पर संस्था की ओर से हस्ताक्षर करना। 6.पत्र व्यवहार करना। 7.सम्पति की सुरक्षा हेतु वैधानिक अन्य कार्य जो आवश्यक हों। **4. सहसचिव :** 1.महासचिव की अनुपस्थिति में महासचिव पद के सारे कार्य संचालन करना। 2.अन्य कार्य जो प्रबंधकारिणी / महासचिव द्वारा सौंपे जावें। **5. कोषाध्यक्ष :** 1.दैनिक लेखों पर नियंत्रण रखना। 2.वार्षिक लेखा–जोखा तैयार करना। 3.चन्दा / शुल्क / अनुदान आदि प्राप्त कर रसीद देना। अन्य प्रदत कार्य सम्पन्न करना। **6. संगठन मंत्री :** 1.संस्था के कार्यक्रमों की व्यवस्था करना। 2.अन्य कार्य जो जो प्रबंधकारिणी / महासचिव द्वारा सौंपे जावें। **7. सहकोषाध्यक्ष :** 1.कोषाध्यक्ष की अनुपस्थिति में कोषाध्यक्ष पद के सारे कार्य संचालन करना। 2.अन्य कार्य जो प्रबंधकारिणी / कोषाध्यक्ष द्वारा सौंपे जावें।	यथावत
16.	संस्था का कोष	संस्था का कोष निम्न प्रकार से संचित होगा :– 1.चन्दा 2.शुल्क 3.अनुदान 4.सहायता 5.राजकीय अनुदान (1) उक्त प्रकार से संचित राशि किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में सुरक्षित रखी जायेगी। (2) अध्यक्ष / सचिव / कोषाध्यक्ष में से किन्हीं दो पदाधिकारियों के संयुक्त हस्ताक्षरों से बैंक में लेन–देन संभव होगा।	यथावत
17.	कोष संबंधी विशेषाधिकार	संस्था के हित में तथा कार्य व समय की आवश्यकतानुसार निम्न पदाधिकारी संस्था की राशि एक मुश्त स्वीकृत कर सकेंगे :– 1. अध्यक्ष – 100000 रू. 2. सचिव / मंत्री – 50000 रू. 3. कोषाध्यक्ष – 25000 रू. उक्त राशि का अनुमोदन प्रबंधकारिणी से कराया जाना आवश्यक होगा।	यथावत

अध्यक्ष
बी.आर. खोखर मेमो. शिक्षण संस्थान
कुचामन सिटी (नागौर)

सचिव
बी.आर. खोखर मेमो. शिक्षण संस्थान
कुचामन सिटी (नागौर)

कोषाध्यक्ष
बी.आर. खोखर मेमोरियल शिक्षण संस्थान
कुचामन सिटी (नागौर)

Signature valid
Digitally signed by Ganga Ram Godara
Designation : REGISTRAR
Date: 2024.07.30 11:01:27 IST
Reason: Approved
Location: -

		अंकेक्षक की नियुक्ति प्रबंधकारिणी द्वारा की जायेगी।	
18.	संस्था का अंकेक्षण	संस्था के समस्त लेखों जोखों का वार्षिक अंकेक्षण कराया जावेगा।	यथावत
19.	संस्था के विधान में परिवर्तन	संस्था के विधान में आवश्यकतानुसार साधारण सभा के कुल सदस्यों के 2/3 बहुमत से परिवर्तन, परिवर्धन अथवा संशोधन किया जा सकेगा जो राजस्थान संस्था रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1958 की धारा 12 के अनुरूप होगा।	यथावत
20.	संस्था का विघटन	यदि संस्था का विघटन आवश्यक हुआ, तो संस्था की समस्त चल व अचल सम्पति समान उद्देश्य वाली संस्था को हस्तान्तरित कर दी जावेगी। लेकिन उक्त समस्त कार्यवाही राजस्थान संस्था रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1958 की धारा 13 व 14 के अनुरूप होगी।	यथावत
21.	संस्था के लेखे जोखे का निरीक्षण	रजिस्ट्रार संस्थाएं डीडवाना – कुचामन को संस्था के रिकार्ड का निरीक्षण/जांच करने का पूर्ण अधिकार होगा व उनके द्वारा दिये गये सुझावों की पूर्ति की जावेगी।	यथावत

प्रमाणित किया जाता कि उक्त विधान (नियमावली) **बी. आर. खोखर मेमोरियल शिक्षण संस्थान, कुचामन सिटी** संस्था की सही व सच्ची प्रतिलिपि हैं।

अध्यक्ष
बी.आर.खोखर मेमो.शिक्षण संस्थान
कुचामन सिटी (नागौर)

सचिव
बी.आर.खोखर मेमो.शिक्षण संस्थान
कुचामन सिटी (नागौर)

Ranjeet Kumar
कोषाध्यक्ष
बी.आर.खोखर मेमोरियल शिक्षण संस्थान
कुचामन सिटी (नागौर)

Signature valid

Digitally signed by Ganga Ram Godara
Designation : REGISTRAR
Date: 2024.07.30 11:51:27 IST
Reason: Approved
Location: -